उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- 3917/77-6-23-6009/237/2023
लखनऊ : दिनांक 14/12/2023

कार्यालय – ज्ञाप

प्रदेश में पंप स्टोरेज परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार को निवेशकों से निरंतर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिनको प्रायः 'वाटर बैटरी' कहा जाता है। यह परियोजनाएं 40 से 50 वर्षों तक के जीवनकाल के साथ दृढ तथा प्रेषण योग्य विद्युत उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पंप स्टोरेज की परियोजनाएं न केवल प्रदूषण रहित होती हैं, अपितु पर्यावरण के अनुकूल भी होती हैं।

इस क्षेत्र में निवेशकों की बढ़ती हुई रुचि तथा हाल ही में सोनभद्र, चंदौली एवं मिर्ज़ापुर जनपदों में 06 इस प्रकार की परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया गया है। जैसा कि इस आदेश द्वारा अधिदेशित किया गया है, यह समिति प्रदेश में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा अनुमोदन हेतु एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने, प्रस्तावों के अनुश्रवण तथा सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर से अनिम्न सदस्य	सदस्य
अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर से अनिम्न सदस्य	सदस्य
अपर मुख्य सचिव, वन विभाग द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर से अनिम्न सदस्य	सदस्य
अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर से अनिम्न सदस्य	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी - इन्वेस्ट यूपी	सदस्य सचिव
निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (यूपीनेडा)	सदस्य
मुख्य अभियंता- केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ	सदस्य
उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां परियोजनाएं स्थापित की जानी है।	विशेष

	आमंत्री
उस जनपद के जिला वन अधिकारी, जहां परियोजनाएं स्थापित की जानी है।	विशेष आमंत्री

समिति के कार्य(Functions)

1. जिन परियोजनाओं हेतु निवेशकों द्वारा इन्वेस्ट यूपी में ओवदन किया गया है, उनको स्वीकृति तथा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना।
2. परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निवेशकों की समस्याओं के समाधान से संबंधित निर्णय करना।
3. स्वीकृत पीएसपी परियोजनाओं का नियमित अनुश्रवण करना।
4. हस्तक्षेप की आवश्यकता होने पर, भारत सरकार अथवा उसकी एजेंसियों के साथ निवेश परियोजना-केंद्रित प्रकरणों को उठाना।

इन्वेस्ट यूपी समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

Digitally Signed by अनिल कुमार सागर
Date: 14-12-2023 18:49:09
Reason: Approved

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ सिंचाई एवं जल संसाधन/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/ राजस्व/ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0 पी0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला वन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
9. समिति के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार मौर्य)
संयुक्त सचिव।